# राजस्थान सरकार

## निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21 2446 To 2480-K दिनांकः– 13.01.2022

कोषाधिकारी,
समस्त।

विषयः– राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को 01.01.2022 से बैंक के स्थान पर पेंशन भुगतान पे–मैनेजर से करवाने बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 1746–1780K दिनांक 17.12.2021 एवं क्रमांक 1791–1824 K दिनांक 21.012.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 16.12.2021 की पालना में बैकों के स्थान पर पे–मैनेजर से पेंशन भुगतान के संबंध में उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गये थे। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.10(11)वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 13.01.2022 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही की जानी हैः–

1. इस विभाग द्वारा पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ, के जारी होने के उपरान्त कोषालय द्वारा पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र, Identification एवं बैंक डिटेल प्राप्त करने आदि की सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए केवल जीपीओ एवं सीपीओ का भुगतान कोषालय द्वारा किया जावेगा। पीपीओ के नियमित पेंशन भुगतान हेतु एक्सेल शीट पर गणना करके बैंक खाते का विवरण, आधार न., मोबाईल न., ई–मेल आई.डी., पेन न., तथा आयकर टी.डी.एस. की गणना कर निदेशालय को ऑनलाईन आई.एफ.पी.एम.एस. पर उपलब्ध करवाये जावेंगे तथा लीगेसी डाटा अपडेट कर चालू माह के बिल में ऐरियर राशि मय टी.डी.एस.के अंकित करावें, जिसके आधार पर पेंशन मय ऐरियर का भुगतान पे–मैनेजर से सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग पेंशन निदेशालय द्वारा किया जावेगा।
2. इस विभाग द्वारा जारी एफ.पी.पी.ओ एवं जी.पी.ओ. अधिकृति के भुगतान से पूर्व पारिवारिक पेंशनर के जीवन प्रमाणन, पहचान, बैंक डिटेल आदि की औपचारिकताऐं पूर्ण कर केवल जीपीओ का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु पेंशन की गणना, बैंक खाते का विवरण, आधार न., मोबाईल न., ई–मेल आई.डी., पेन न., तथा आयकर टी.डी.एस. की गणना कर निदेशालय को ऑनलाईन आई.एफ.पी.एम.एस. पर उपलब्ध करवाये जावेंगे तथा लीगेसी डाटा अपडेट कर चालू माह के बिल में ऐरियर राशि मय टी.डी. एस.के अंकित करावें, जिसके आधार पर नियमित पेंशन मय ऐरियर सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग पेंशन निदेशालय द्वारा भुगतान की जावेगी।
3. पूर्व के पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर आई.एफ.पी.एम.एस. पर अपलोड करने की सुविधा कोषाधिकारी को एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।
4. पेंशनर की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर आई.एफ.पी.एम.एस. पर अपलोड करने की सुविधा कोषाधिकारी को एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

5. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने पर आई.एफ.पी.एम.एस. पर पेंशन बंद करने की सुविधा कोषाधिकारी को एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।
6. पेंशनर की मृत्यु होने पर यदि पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ की जानी है, उन मामलों में कोषाधिकारी द्वारा पारिवारिक पेंशनर से मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जीवन प्रमाण पत्र, पहचान सुनिश्चित करने, बैंक खाते का विवरण, आधार न., मोबाईल न., ई-मेल आई.डी. (ऐच्छिक) तथा पेन न.,(यदि हो) प्राप्त कर पारिवारिक पेंशन की गणना एक्सेल शीट पर तैयार कर आई. एफ.पी.एम.एस. पर उपलब्ध करवायें जावेंगे तथा लीगेसी डाटा अपडेट कर चालू माह के बिल में ऐरियर राशि मय टी.डी.एस.के अंकित करावें। जिसके आधार पर नियमित पारिवारिक पेंशन एवं ऐरियर का भुगतान सी.पी.डी.एम.सी अनुभाग द्वारा किया जावेगा।
7. संशोधित अधिकृतियॉ जारी होने पर जीपीओ/सीपीओ का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा संशोधित पीपीओ अधिकृति में पेंशन की गणना की जाकर आई.एफ.पी.एम.एस के माध्यम से एक्सेल शीट पर उपलब्ध करवायी जावेगी तथा चालू माह के बिल में ऐरियर की राशि मय टी.डी.एस. अंकित करावें, जिसके आधार पर सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग द्वारा मय ऐरियर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. माह दिसम्बर 2021 की पेंशन का स्क्रोल पी.सी.आर. पर कोषाधिकारियों को उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसकी जॉच कर कोषाधिकारी द्वारा सभी डाटा अपडेट किए जावेंगे। कोषाधिकारी द्वारा आयकर टी.डी.एस. की गणना की जावेगी तथा पेंशन से कोई वसूली की जानी है तो उसका अंकन किया जावेगा, जिसके अनुसार माह जनवरी 2022 की पेंशन मय ऐरियर का भुगतान सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग द्वारा किया जावेगा।
9. कोषाधिकारियों द्वारा बैंक में भिजवायी गई पेंशन/संशोधित पेंशन अधिकृतियों जिनका बैंको द्वारा भुगतान विवरण नहीं किया गया है, बैंक से वापिस मंगवायी जावेगी तथा इन अधिकृतियों का देय भुगतान ऐरियर सहित उपरोक्तानुसार चालु माह के बिल में ऑनलाइन आई.एफ.पी.एम. एस. पर अंकित किया जावेगा, जिसके अनुसार सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा।
10. किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशन के एल.टी.ए. भुगतान के मामले में दावेदार से समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करवाने के पश्चात् सक्षम स्वीकृति के अनुसार भुगतान का विवरण मय टी. डी.एस. कटौती एवं अन्य रिकवरी चालू माह के बिल में ऑनलाइन आई.एफ.पी.एम.एस. पर अंकित किया जावेगा तथा इसका भुगतान सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग द्वारा किया जावेगा।
11. जिन पेंशनर्स को बैंक द्वारा 31 प्रतिशत मंहगायी राहत का भुगतान नहीं किया है, उनके ऐरियर की गणना शीट अपलोड कर चालू माह के बिल में ऐरियर का इन्द्राज किया जावेगा, जिसके आधार पर सी.पी.डी.एम.सी अनुभाग द्वारा जो पेंशनर्स पूर्व के वेतनमानों में पेंशन प्राप्त कर रहे है, उसका देय मंहगाई राहत का भुगतान हेतु नवीनतम निर्धारित दरो पर गणना कर मय ऐरियर राशि का अंकन ऑनलाइन आई.एफ.पी.एम.एस. पर किया जाए, जिसके अनुसार भुगतान सी.पी.डी.एम.सी. सेल निदेशालय द्वारा किया जाएगा।
12. जिन पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन 80 से अधिक आयु होने पर बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, उनके ऐरियर की गणना शीट तैयार कर अपलोड करनी होगी तथा चालू माह के बिल में ऐरियर एवं अतिरिक्त पेंशन का इन्द्राज किया जावेगा, जिसका भुगतान सी.पी.डी.एम.सी अनुभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा।
13. जिन पेंशनर्स के कम्यूटेशन की कटौती अधिक कर ली गई है, उनके कम्यूटेशन की अधिक वसूल की गई राशि की गणना शीट तैयार कर आई.एफ.पी.एम.एस. पर अपलोड करनी होगी, तथा चालू माह के बिल में ऐरियर दर्ज किया जावेगा, सी.पी.डी.एम.सी अनुभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा।
14. जिन पारिवारिक पेंशनर्स को बढी हुई पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष या 67 वर्ष की आयु के पश्चात् भी भुगतान कर दी गई है, उसे अब बंद कर ठीक किया जावेगा तथा अधिक भुगतान की

गणना कर गणना शीट आई.एफ.पी.एम.एस पर अपलोड की जावेगी। चालू माह के बिल में रिकवरी राशि एवं अवधि दर्ज की जावेगी ताकि प्रत्येक माह पेंशन से अधिक भुगतान की राशि की वसूली सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग द्वारा की जा सके।

15. किसी पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् भी पेंशन का भुगतान हो रहा है तो उसे कोषाधिकारी द्वारा बंद किया जावेगा तथा अधिक भुगतान की राशि परिवार पेशंन प्रारम्भ करने से पूर्व वसूल कर राजकोष में जमा करवायी जावेगी। यदि परिवार पेशंन चालू नहीं की जानी है तो पी.पी.ओ. निरस्त कर पेंशन आई.एफ.पी.एम.एस. पर बंद (STOP) की जावेगी तथा संबंधित बैंक को खाते से अधिक भुगतान की राशि वसूल करने का अनुरोध किया जावेगा। ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना इस निदेशालय को भी दी जावेगी।
16. पेंशनर द्वारा ट्रेजरी बदलने का अनुरोध आने पर कोष परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावेगी। बैंक खाता बदलने पर बैंक खाते का पूर्ण विवरण, बैंक का नाम, शाखा का नाम व पता, खाता संख्या आई.एफ.एस.सी. कोड मय पास बुक के पृथम पृष्ठ की प्रति या कैंसिंल चेक के साथ प्राप्त कर लीगेसी डाटा में संशोधन किया जावेगा। जिसके आधार पर आगामी भुगतान परिवर्तित बैंक खाते में सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग द्वारा किया जा सके।
17. पेंशनर्स के आयकर टी.डी.एस. की कटौती बैंक द्वारा की गई है, उसका फार्म 16 बैंक द्वारा जारी किया जावेगा, कोषालय द्वारा आयकर कटौती का फार्म 16 कोषालय द्वारा जारी किया जावेगा। इस विभाग के सी.पी.डी.एम.सी. अनुभाग द्वारा की गई आयकर कटौती के फॉर्म 16 इस अनुभाग द्वारा ही जारी किये जावेंगे।
18. प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के लिए रिकार्ड से आवयश्क जाँच कर दिनांक 20.01.2022 से पूर्व इन्द्राज सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित कोषाधिकारियो का रहेगा।
19. वर्तमान में 9 बैंकों के माध्यम से ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार के स्तर से पेंशन वितरण किये जाने के उपरान्त सभी 19 शेड्युल बैंको में पेंशनर के खाते रखे जाने की अनुमति दी गयी है। अतः सभी शेड्युल बैंको के खातो में पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।
20. लीगेसी डाटा या पेंशन वितरण संबंधी समस्याऐं नई व्यवस्था के उपरान्त उत्पन्न होती है, उनका निस्तारण दिनांक 20.01.2022 तक कर लिया जावें।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/296